न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/ 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/50

प्रार्थी/अपीलार्थी :–
श्रीमती आशा पत्नि श्री महिपाल जैन निवासी बडोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा

श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता

उपस्थित
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक :– 04–01–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बडौदिया के आराजी नंबर 2771 रकबा 0.30 है. किस्म गै.मु.खद्दर भूमि सार्वजनिक भवनो के लिये आरक्षित भूमि पर श्रीमती आशा पत्नि महिपाल जैन निवासी बडौदिया द्वारा अवैद्य रुप से अतिक्रमण की सूचना पर दिनांक 19.04.2022 को तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रकरण सं. 1/2022 दर्ज किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक बडौदिया, पटवारी हल्का बडोदिया से जॉच के पश्चात् तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रकरण में दिनांक 25.05.2022 को ग्राम बडौदिया के आराजी नंबर 2771 में 18.40 वर्गमीटर भूमि पर से अवैद्य अतिक्रमण हटाने निर्णय पारित किया गया तथा दिनांक 04.08.2022 से आदेश एवं 05.08.2022 को संशोधित आदेश से अतिक्रमण हटाने हेतु टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाने आदेशित किया गया। जिससे असन्तुष्ट, अप्रसन्न, व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी पर वकील अपीलार्थी ने अपील की सुनवाई तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपील में आगामी पेशी तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश आदेशिका पर जारी किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स को जारी किये गए। दिनांक 07.11.2022 श्री विलीप जोशी पिता लक्ष्मीनारायण जोशी निवासी बडौदा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with Oken Scanner

सी.पी.सी प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया। जिस पर दिनांक 16.11.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 21.11.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी खारिज किया गया। वाद ग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य के संबंध में रिपोर्ट चाहने पर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को रिर्पोट प्रस्तुत की गई।

दिनांक 04–01–2023 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार बागीदौरा ने केवल मात्र किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत के आधार पर पर प्रकरण दर्ज किया किन्तु यह प्रकरण किस प्रावधान के तहत दर्ज किया गया है तथा किस धारा के तहत आदेश दिनांक 25.05.2022 पारित किया गया है यह स्पष्ट नही है। तहसीलदार बागीदौरा ने प्रकरण में नोटिस दिया है जो अपीलान्ट पर व्यक्तिशः तामील नहीं हुआ है। नोटिस के अभाव में सुनवाई का अवसर दिए बिना मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है। तहसीलदार बागीदौरा ने अपने आदेश का आधार पटवारी बड़ोदिया की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 को माना है। पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी ने किसी राजनैतिक दबाव अथवा प्रलोभन में आकर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट की अन्तिम लाईन 'अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है।' बाद में जोडी गई है। इसी प्रकार तहसीलदार बागीदौरा को लिखे पत्र दिनांक 05.05.2022 की चरण संख्या 2 में रकबा 18.40 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो ग्राम बडोदिया की जमाबन्दी वर्ष 2074–77 की खा.सं. 923 में दर्ज रेकार्ड है।' उक्त तथ्य पटवारी द्वारा प्रार्थनापत्र में बाद में जोडे गये है। पटवारी की रिपोर्ट संदेहास्पद है। शिकायत आम रास्ते की भूमि की है। लेकिन पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी आम रास्ता नहीं बताया गया है। पटवारी एवं तहसीलदार बागीदौरा ने शिकायत के विपरित जांच करके अपीलान्ट को क्षति पहुचाने के आशय से गलत रिपोर्ट तैयार कर गैरकानूनी आदेश पारित किया है। पटवारी ने मौके का नक्षा अपनी रिपोर्ट में बनाया है जिसमें सड़क को नहीं दर्शाया गया है। सर्वे नंबर 2771 का रकबा 0.30 हैक्टेयर होना बताया गया है अर्थात 3000 वर्गमीटर भूमि का सीमाकंन कैसे किया उसका [illegible] उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। 3000 वर्गमीटर भूमि में से मात्र 18.40 वर्गमीटर भूमि [illegible] किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। नक्षे में तथाकथित अतिक्रमण वाली भूमि त्रिभुजाकार बताई है जिसका दक्षिणी बिन्दु शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा

Scanned with Oken Scanner

होकर उत्तरी भुजा की चौडाई 2.25 मीटर बताई है। नक्शे में भूमि की लम्बाई नहीं बताई गई है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी ने बिना लम्बाई के एवं दक्षिणी भुजा शुन्य है ऐसी अवस्था में 18.40 वर्गमीटर भूमि का नाप किस आधार पर किया यह रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है। रिपोर्ट में जो नाप लिखे है उससे अगर गणित के आधार पर गणना करने पर भी 18.40 वर्गमीटर भूमि नहीं होती है। पटवारी ने सर्वे नम्बर 2771 की भूमि को नापने के लिए कोई मुस्तकील बिन्दु नहीं बताया है। नक्शे में सर्वे नंबर 2771 की दक्षिणी भुजा गोलाकार बताई है। पश्चिमी एवं दक्षिणी भुजा सीधी बताई गई है। इन परिस्थितियों में यह भूमि किस प्रकार 3000 वर्गमीटर है वह साबित नहीं होता है। अपीलान्ट अपने स्वामित्व की आवासीय भूमि सर्वे नंबर 4156/4140 की 120 वर्गमीटर अर्थात 1291.2 वर्गफीट भूमि पर अपने भवन का निर्माण कर रही है। शिकायतकर्ता श्री दिलीप जोशी के भाई श्री अशोक, श्री प्रकाश, श्री भरत, श्री महेश पिसरान श्री वनेश्वर निवासी बडोदिया से अपीलान्ट एवं श्रीमती निर्मला ने कृषि भूमि क्रय की है। शिकायतकर्ता श्री दिलीप जोशी यह भूमि सस्ते में अथवा अन्य तरीके से अपने भाईयों से हड़प लेना चाहता था। लेकिन भाईयों ने भूमि शिकायतकर्ता को नहीं देकर अपीलान्ट को विक्रय कर दी जिससे बदले की भावना से श्री दिलीप जोशी ने अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत क्षति पहुचाने के उद्धेश्य से पेश की है। तहसीलदार बागीदौरा के तीनों आदेश काबिल निरस्ती है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के कई निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। पिठासीन अधिकारी तहसीलदार बागीदौरा ने उक्त सिद्धान्तों के विपरित सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं न्यायिक विचारण के मामले में दुषित प्रक्रिया अपनाकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार बागीदौरा की ओर से दिनांक 20.12.2022 के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलांट द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वह अपनी स्वयं की भूमि पर किया जा रहा है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं आदेश दिनांक 25.05.2022 आदेश दिनांक 04.08.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.2022 को निरस्त करना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम बड़ौदिया के आराजी नंबर 2771 रकबा 0.30 है. किस्म गै.मु खददर भूमि सार्वजनिक भवनो के लिए [illegible] भूमि पर श्रीमती आशा पत्नि महीपाल जैन निवासी बडौदिया द्वारा अवैध रुप से 18.40 वर्गमीटर पर अतिक्रमण किये जाने की सूचना पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with Oken Scanner

एवं भू अभिलेख निरीक्षक बडौदिया की जॉच रिर्पोट दिनांक 05.05.2022 के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया। अपीलांट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ था तथा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये है, बावजुद नोटिस तामील जवाब प्रस्तुत नही करने पर जनहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय तहसीलदार तहसील बागीदौरा द्वारा दिनांक 25.05.2022 को आराजी नंबर 2771 में 18.40 वर्गमीटर अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया तथा दिनांक 04.08.2022 से आदेश एवं 05.08.2022 को संशोधित आदेश से अतिक्रमण हटाने टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाने आदेशित किया गया है। प्रकरण में विधि सम्मत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी श्रीमती आशा पत्नि महिपाल जैन निवासी बडौदिया द्वारा अवैध निर्माण की सूचना पर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण किस धारा के तहत दर्ज किया गया है जिसका उल्लेख नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2022 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर तलब किया गया है तथा मौके एवं रेकार्ड की जॉच कर वस्तुस्थिति रिर्पोट करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बडौदिया, पटवारी हल्का बडौदिया को लिखा गया जिस पर पटवारी बडौदिया की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2022 एवं संलग्न मौका पर्चा के आधार पर ग्राम बडौदिया के आराजी सर्वे नं. 2771 रकबा 0.30 है. किस्म किस्म गै.मु खद्दर भूमि सार्वजनिक भवनो के लिये आरक्षित भूमि 18.40 वर्गफिट पर श्रीमती आशा पत्नि महिपाल जैन निवासी बडौदिया ने अतिक्रमण की रिर्पोट की है। दिनांक 10.05. 2022 को अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। ततपश्चात की आदेशिका में अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति/ अनुपस्थिति नही दर्शाते हुए दिनांक 25.05.2022 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। प्राकृतिक न्याय [illegible] के अनुरुप किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with Oken Scanner

समझते है। तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2022 को अपास्त कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.02.2023 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 04–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

श्री रामकुमार जैन Adv.

राजकीय आधिवक्ता

Scanned with Oken Scanner